नवभारत टाइम्स - 8 दिसंबर 2023

प्राणियों पर क्रूरता की शिकायतों के लिए पुलिस ने बनाई SOP

मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद हरकत में आया विभाग

Krishna.Shukla@timesgroup.com

■ मुंबई : राज्य मानवाधिकार जितना इंसानों के अधिकारों को लेकर सजग है, उतना ही वह बेजुबान पशुओं की सुरक्षा और क्रूरता के प्रति भी सचेत है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अभाव में महाराष्ट्र ऐनिमल प्रिवेंशन ऐक्ट 1976 के प्रावधानों पर प्रभावी ढंग से अमल नहीं हो रहा है। प्राणियों के हित में कार्यरत आयोग बारिक द्वारा यह बात राज्य मानवाधिकार आयोग के ध्यान में लाने के बाद आयोग ने पुलिस महकमे की खबर ली। इसके बाद प्राणियों पर क्रूरता की शिकायतों से निपटने को लेकर मार्गदर्शन के लिए एसओपी बनाई गई। ताकि प्राणियों के कल्याण से जुड़े कानून कड़ाई से लागू हों।

'नहीं हो पाती ठोस कार्रवाई'

ऐडवोकेट सिद्ध विद्या के जरिए दायर शिकायत में बारिक ने दावा किया था कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पशुओं को काटा जाता है। प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से बीफ (गोवंश का मांस) का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। नियमों के विपरीत वाहनों से जीवित पशुओं की ढुलाई की जाती है। इन गतिविधियों की जानकारी जब पुलिस को दी जाती थी, तो वह एसओपी के अभाव में ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती थी।

नतीजतन, शिकायत का उद्देश्य कार्रवाई के अभाव में सार्थक होने की बजाय निरर्थक हो जाता है। इसीलिए पशुओं से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तय किया जाना जरूरी है, ताकि ऐसी शिकायतों पर आधारित मुकदमों को मजबूती मिले और कानून से जुड़े अपेक्षित लक्ष्य को पाया जा सके। आयोग के चेयरमैन के. के. जोशी की बेंच के सामने शिकायत पर सुनवाई के दौरान एसओपी के निर्माण में गृह विभाग, राज्य के पुलिस महानिदेशक, पशु संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई। इस दौरान सर्वाधिक शिकायतें पुलिस और गृह विभाग से जुड़ी नजर आईं। आयोग ने पुलिस को पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आयोग के सामने एसओपी का विवरण पेश किया।

एसओपी के मुख्य बिंदु

■ पशुओं के अवैध ट्रांसपोर्टेशन, क्रूरता, बीफ की ढुलाई और पशुओं को बांटने संबंधी पब्लिक से जुड़ी शिकायतों पर कारगर कार्रवाई की जाए।

■ मानद पशु कल्याण अधिकारी, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टु ऐनिमल से जुड़े सदस्यों और पशु मित्रों की शिकायतों को पुलिस गंभीरता से ले। शिकायतों पर कार्रवाई के लिए पर्याप्त पुलिस बल भेजा जाए, ताकि मौके पर हमले की घटना से बचाव हो। ऐसे स्थल को सुरक्षित करने संबंधी उपयुक्त कदम उठाए, जिससे आरोपी सबूतों को नष्ट न कर सके।

■ घटना स्थल पर पंचनामा करते समय जरूरी सावधानी बरती जाए। पंचनामे में वाहनों से पकड़े गए पशुओं, बरामद गोमांस, वाहनों का विस्तृत ब्योरा रिकॉर्ड किया जाए। घटना स्थल की समय पर उसकी खोजें और विडियोग्राफी की जाए। आरोपियों के नाम, पते सहित पूरी जानकारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य सरकारी पहचान-पत्र जरूर लिए जाएं।

■ जब्त किए गए पशुओं की पशु विकास अधिकारी की मदद से मेडिकल जांच कराई जाए और सर्टिफिकेट हासिल किए जाएं। मांस के नमूनों को जांच के लिए कलकत्ता भेजा जाए। जब्त पशुओं को उन गौशालाओं में भेजा जाए, जिन्हें सरकार ने अपनी सूची में शामिल किया हो।

■ बेचा की जांच के लिए फूड सेफ्टी अधिकारी की सहायता से जब्त मांस के नमूने लिए जाएं। क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपायुक्त नमूने की रिपोर्ट शीघ्र भेजने को लेकर संबंधित लैब को आग्रह-पत्र भेजें। रिपोर्ट के आधार पर वसूली की धाराएं लगाई जाएं।

■ कोर्ट की परिमाण के बाद ही जब्त मांस के नमूने नष्ट किए जाएं। ऐसा करने वाला उनकी फोटो और विडियोग्राफी की जाए। यदि किसी एक वाहन का अपराध में कई बार इस्तेमाल का खुलासा हो, तो इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए।

■ जानकारी को खरीदने और बेचने के लाइसेंस को भी जांच की जाए। जब्त पशुओं के रख-रखाव की राशि आरोपियों से जल्द वसूली जाए।

■ पुलिसकर्मियों को अवेयर करने के लिए सेमिनार, कॉन्फ्रेंस का आयोजन रेग्युलर नेसिस पर किए जाएं।

■ महाराष्ट्र पशु संरक्षण कानून की कॉपी सभी पुलिस स्टेशनों में उपलब्ध कराई जाए।

■ कसाईखानों से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं जुटाई जाएं। जागरूकता के लिए वॉट्सएप ग्रुप बनाए जाएं।

■ ऐनिमल वाइफ के मामलों से संबंधित आरोपियों के रिकॉर्ड तैयार किए जाएं। मिलते पाए जाने पशुओं से जुड़े कानून का उल्लंघन करने वालों की सूची तैयार कर उन पर निगरानी रखी जाए।

NBT स्पेशल

Scanned with OKEN Scanner